क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. समय के अभाव में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधि. जमवारामगढ़
	27/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पत्रावली सुनवाई में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा. भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
38/2021	19/02/2021	27.05.2024

रामकरण पुत्र मोहरीलाल आयु 35 साल जाति मीना निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार , तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान ।
काना पुत्र मांग्या जाति मीणा निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा, रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 364/2 रकबा 0.0253 है0 ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए अप्रार्थी सं 0 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 364/3 स्थित है। पूर्व में उक्त खसरा नम्बर 364 थे जिसका तकासमा होने के बाद उसके चार नम्बर 362/1, 364/2, 364/3, 364/4 बनाये गये खसरा नम्बर हाल किये गये नवीन सेटलमेंट मे प्रार्थी की भूमि साबिका खसरा नम्बर 364/2 के नवीन खसरा नम्बर 364/2 बनये गये है एवं अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि का साबिका खसरा नम्बर 364/3 के नवीन खसरा नम्बर 364/3 बनाये गये है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 364 के तकासमा के बाद कुर्रेजात रिपोर्ट के नक्शें अनुसार बने खसरा नम्बर 364/2 पर काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि से लगते अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 364/3 का राजस्व नक्शें में रकबा बढा कर एवं प्रार्थी की भूमि का रकबा कम कर अंकित कर दिया है। प्रार्थी के नवीन खसरा नम्बर 364/2 को नवीन नक्शें में हाल सैटलमेंट मे खसरा नम्बर 364/2 का रकवा कम कर अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 364/4 का रकबा बढाकर खिसका कर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप नही है। खसरा नम्बर 364/2 की दुरूस्ती कर नवीन खसरा नम्बरान की भूमि दुरूस्त नक्शा कब्जेकाश्त एवं रकबे के अनुसार पूर्वानुसार प्रकरण सं0 47/2008 उनवानी दाफा बनाम गणेश में जारी निर्णय दिनांक 07.06.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ के द्वारा स्वीकृत कुर्रेजात नक्शें के अनुसार कायम किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/भू0अ0/17 दिनांक 25.10.21 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ के प्रकरण सं0 47/2008 उनवानी दाफा बनाम गणेश मे जारी निर्णय दिनांक 07.06.2013 में विभाजन के कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ में जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़